

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

तारंककत प्रश्न ँ : 498
26 , 2019 प्रश्न त्त

प्र र्त्र र

*498. श्री कानुडुरु रघु राम कृष्णराजू:

क्या स्वास्थ्य ि ल र्त्र ि ि ि

() क () को भांति ही पूरे देश ड प्रधान डंत्री जन आरोग्य
(पीएमजेएवाई) के प्रभावी कायान्वयन त्त ;

() ि , तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या ;

(ग) क्या राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा शीघ्र विधान बनाने के लिए विधेयक का प्रारूप ि
प्रक्रिया पहले ही शुरू को जा ि ;

() ि , त ढ क ?

त्त

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण डंत्री (. हषवधन)

() (): - ि

f 26.07.2019

f प्रश्न . *498 त ले

() (): िं

हुं f 10.74 त्र
लाभार्थियों को अस्पताल म भर्ती होने का 5 लाख रु. प्रति परिवार प्रतिवर्ष तक का कवर प्रदान करने हेतु
, 2018 ष - ष्ट्री स स्थ्य सुरक्षा मिशन को अनुमोदित किया था,
प्रधानमंत्री जन आरोग्य () f त्रे
योजना के केन्द्री स न प्र , 1860
ष्ट्री स स्थ्य एंजेसी को एक सोसायटी के रूप म स्था ि

f व , न , 2019 क ष्ट्री
स स्थ्य एजसी को राष्ट्री स स्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) के रूप म पुनसंरचना और पुनगठन किया। राष्ट्री
स स्थ्य प्राधिकरण को स्था -स त स स्थ्य एवं परिवार कल्या त्र ष्ट्री
कायालय के रूप म को गई है। पीएमजेएवाई के कायान्वयन हेतु सरकार द्वारा एनएचए के पूण प्रचालनात्म
त्र , ष्ट्री स स्थ्य एंजेसी को एक सोसायटी के रूप म स्था ि
अधिकारी (सीईओ) को नियुक्ति
ि

ष्ट्री स स्थ्य प्र () रु 11 स () ि
स ि
प्र स स्थ्य एवं परिवार कल्या त्र ष्ट्री स स्थ्य एवं परिवार कल्या त्र ष्ट्री
प्र रु स स्थ्य, प्रबंधन आदि जैसे क्षेत्रों से लिए गए दो
ज्ञ

() (): , िं

.....